Act- No. 8 of 2014

2013 का विधेयक संख्यांक 39

हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 5 का संशोधन।
3. 2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2013 का विधेयक संख्यांक 39

हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 08 अक्तूबर, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 5 का संशोधन।

1968 का 20

2. हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल अधिनियम,1963 की धारा 5 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(1) यथास्थिति, महाआदेशक या आदेशक सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों की ऐसी संख्या जैसी सरकार द्वारा अवधारित की जाए सीधे अपने नियन्त्रण के अधीन कमाँड के किसी कार्यालय में गृह–रक्षक दल के स्वयंसेवकों के रूप में अभर्ति कर सकेगा, जो सेवा करने के लिए उपयुक्त और रजामन्द हैं।"; और

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

अध्यक्ष।
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला–171004.
दिनांक : – –2014

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूं

राज्यपाल।

शिमला–171002.
दिनांक : 3 – 3 –2014

राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 39 OF 2013

THE HIMACHAL PRADESH HOME GUARDS (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH HOME GUARDS (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.

2. Amendment of section 5.

3. Repeal of H.P. Ordinance No. 6 of 2013 and savings.

Bill No. 39 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH HOME GUARDS (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Home Guards Act, 1968 (Act No. 20 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Home Guards (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 8th day of October, 2013.

Amendment of section 5.

2. In section 5 of the Himachal Pradesh Home Guards Act, 1968,— 20 of 1968.

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Commandant General or the Commandant, as the case may be, may enrol, with the prior approval of the Government, such number of persons, who are fit and willing to serve, as may be determined by it, as volunteers of the Home Guards to any office of command under his immediate control."; and

(b) sub-section (2) shall be omitted.

Repeal of H. P. Ordinance No. 6 of 2013 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Home Guards (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

मैं, "हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 39)" के उपुर्यक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश गृह–रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 39)" के उपुर्यक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग भानु सिंह
प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।